



# बिहार सरकार

## वित्त विभाग

बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट

2017-18

मार्च, 2017

## प्राक्कथन

राज्य की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है, राज्य सरकार उनके कल्याण और विकास के लिए वचनबद्ध है। यह विवरण बजट प्रावधान की उन योजनाओं का संकलन है जो मुख्यतः बच्चों के कल्याण के लिए हैं। ये शैक्षिक परिव्ययों, बालिकाओं के लिए विशिष्ट योजनाओं, स्वास्थ्य, तथा बाल सुरक्षा आदि के लिए प्रावधानों को इंगित करते हैं।

बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट से संबंधित विवरणी की शुरूआत वर्ष 2013-14 में की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2017-18 में निम्नलिखित विभागों द्वारा बाल कल्याण योजनाओं पर व्यय किए जाने हेतु बजट प्रावधान का उल्लेख किया जा रहा है:-

1. कला संस्कृति एवं युवा विभाग।
2. पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।
3. शिक्षा विभाग।
4. समाज कल्याण विभाग।
5. श्रम संसाधन विभाग।
6. अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग।
7. स्वास्थ्य विभाग।
8. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग।

### बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रावधान- विभागवार विवरणी

(राशि लाख रूपए में)				
क्रम सं०	विभाग का नाम	बजट 2016-17	संशोधित अनुमान 2016-17	बजट 2017-18
1	2	3	4	5
1	कला संस्कृति एवं युवा विभाग	1000.00	800.00	1000.00
2	पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	146040.97	147069.97	127740.42
3	शिक्षा विभाग	1022787.60	1062777.92	1297845.04
4	समाज कल्याण विभाग	225198.00	260387.31	335479.59
5	श्रम संसाधन विभाग	250.00	190.00	281.49
6	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	88155.14	88155.14	64417.06
7	स्वास्थ्य विभाग	26195.27	26195.27	7964.06
8	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	5321.12	12128.12	7303.00
	कुल योग-	1514948.10	1597703.73	1842030.66

नोट :- 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं में विभागवार उपशीर्षवार प्रावधानित राशि संबंधित उपशीर्ष के कुल प्रावधानित राशि से कम भी हो सकती है ।

**बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रावधान- विभागवार विवरणी**  
**विभाग - कला संस्कृति एवं युवा विभाग**

(राशि लाख रुपए में)

क्र0 सं0	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	बजट 2016-17	संशोधित बजट अनुमान 2016-17	बजट 2017-18	स्कीम व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (स्कीम की संक्षिप्त जानकारी)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	08- 2204.00.104.0001	विद्यालय खेलकूद	400.00	400.00	500.00	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	<u>वर्ष 2016-17 की उपलब्धि</u> विद्यालय खेल के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता हेतु 14, 17 एवं 19 वर्ष के अन्दर आयुवर्ग के छात्र/छात्राओं को सम्यक प्रशिक्षण के उपरांत राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिताओं में सहभागिता सुनिश्चित की गयी। <u>वर्ष 2017-18 का लक्ष्य</u> विद्यालय खेल के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता हेतु 14, 17 एवं 19 वर्ष के अन्दर आयुवर्ग के छात्र/छात्राओं को सम्यक प्रशिक्षण के उपरांत राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिताओं में सहभागिता का लक्ष्य है।
2	08- 2204.00.104.0102	मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत खेल प्रतियोगिता	600.00	400.00	500.00	राज्य स्कीम	<u>वर्ष 2016-17 की उपलब्धि</u> मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बालक बालिकाओं हेतु एकलब्ध आवासीय खेल प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण दिया गया। <u>वर्ष 2017-18 का लक्ष्य</u> प्रशिक्षण केन्द्रों में आधुनिक खेल प्रशिक्षण के माध्यम से राज्य/राष्ट्रीय/अंतराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार करने का लक्ष्य है।
		योग-	1000.00	800.00	1000.00		

**बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रावधान— विभागवार विवरणी**  
**विभाग – पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग**

(राशि लाख रुपये में)

क्र0 सं0	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	बजट 2016-17	संशोधित बजट अनुमान 2016-17	बजट 2017-18	स्कीम व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (स्कीम की संक्षिप्त जानकारी)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-2225.03.197.0101	उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (197 ब्लॉक पंचायत)	12000.00	12000.00	9450.00	राज्य स्कीम	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को वर्ग 1 से 10 तक छात्रवृत्ति दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में 787500 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जा सकेगी।
2	11-2225.03.277.0101	उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति	9000.00	9000.00	7025.00	राज्य स्कीम	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को वर्ग 1 से 10 तक छात्रवृत्ति दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में 585416 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जा सकेगी।
3	11-2225.03.198.0101	प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति (ग्राम पंचायत)	20452.66	20452.66	18050.00	राज्य स्कीम	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को वर्ग 1 से 10 तक छात्रवृत्ति दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में 1504166 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जा सकेगी।
4	11-2225.03.277.0101	प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति	90000.00	90000.00	71269.14	राज्य स्कीम	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को वर्ग 1 से 10 तक छात्रवृत्ति दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में 597428 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जा सकेगी।
5	11-4225.03.277.0101	जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यन्त पिछड़ा वर्ग छात्रावास	1500.00	1500.00	3458.52	राज्य स्कीम	उच्च विद्यालय एवं ऊपर की कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए यह योजना संचालित है। राज्य के प्रत्येक जिला में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए 100 आसनवाले जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावासों के निर्माण एवं नवनिर्मित छात्रावासों के संचालन पर व्यय होने की संभावना है।
6	11-2225.03.277.0101	मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना	7000.00	7000.00	9000.00	राज्य स्कीम	इस योजना के अंतर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित माध्यमिक (दशर्वी) परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने वाले बिहार राज्य के स्थायी निवासी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा रु0 10,000/- (रु0 दस हजार) मात्र एकमुश्त वृत्तिका दी जाती है।

क्र० सं०	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	बजट 2016-17	संशोधित बजट अनुमान 2016-17	बजट 2017-18	स्कीम व्यय की प्रकृति	अस्थुकित (स्कीम की संक्षिप्त जानकारी)
1	2	3	4	5	6	7	8
7	11-2225.03.277.0101	मुख्यमंत्री पिछ़ड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना	5000.00	5000.00	6000.00	राज्य स्कीम	इस योजना के अंतर्गत विहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित माध्यमिक (दशवीं) परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने वाले विहार राज्य के स्थायी निवासी पिछ़ड़ा वर्ग के वैसे छात्र, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रु0 1,50,000/- (रु0 एक लाख पचास हजार )मात्र तक या इससे कम हो, को प्रति छात्र रु0 10,000/- (रु0 दस हजार) मात्र एकमुश्त वृत्तिका दी जाती है।
8	11-2225.03.277.0214	प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	0.00	1029.00	1250.00	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम	पिछ़ड़ा वर्ग एवं अति पिछ़ड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को वर्ग 1 से 10 तक छात्रवृत्ति दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में 1,67,000 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।
9	11-2225.03.277.0314	प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (राज्यांश)	0.00	0.00	1100.00	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम	पिछ़ड़ा वर्ग एवं अति पिछ़ड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को वर्ग 1 से 10 तक छात्रवृत्ति दी जाती है।
10	11-2225.03.277.0010	12 कन्या आवासीय उच्च विद्यालयों का संधारण	1016.20	1016.20	1073.43	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	पिछ़ड़ा वर्ग एवं अति पिछ़ड़ा वर्ग के छात्राओं के लिए 12 आवासीय कन्या उच्च विद्यालय संचालित है, जिसमें वर्ग 6 से 12 की कक्षाएं संचालित की जाती है।
11	11-2225.03.277.0002	छात्रावासों का संधारण	72.11	72.11	64.33	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	पिछ़ड़ा वर्ग एवं अति पिछ़ड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास संचालित है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत राज्य में संचालित अन्य पिछ़ड़ा वर्ग कल्याण छात्रावासों के संधारण एवं इसमें सुजित स्थायी पदों के वेतन एवं भत्ते मद में राशि व्यय होगी।
		योग-	146040.97	147069.97	127740.42		

## बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रावधान - 2017-18

### शिक्षा विभाग

राशि लाख रुपये में

क्र० सं०	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	बजट 2016-17	संशोधित बजट अनुमान 2016-17	बजट 2017-18	स्कीम व्यय की प्रकृति	अन्युकृति (स्कीम की संविधान जानकारी)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	21-2202.01.112.0203	मध्याह्न भोजन योजना	173616.81	193621.85	263005.22	केन्द्र प्रायोजित स्कीम	<p>सरकारी विद्यालयों में बच्चों को पोषणयुक्त आहार के लिए कक्ष 1 से 8 तक के सभी कोटि के छात्र/छात्राओं को पका पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाता है। जिससे सभी छात्र/छात्राओं के बीच समानतः की भावना विकसित होती है तथा साथ ही उनमें स्वस्थ मानसिक एवं शारीरिक व्यवहार की विकास होता है।</p>
	21-2202.01.112.0303						
	21-2202.01.789.0306						
2	21-2202.01.001.0107	किलकारी	300.00	300.00	400.00	राज्य स्कीम	<p>किलकारी द्वारा 9 से 16 आयु वर्ग तक बच्चों की सुनियोजित विद्यालयों को उभारने हेतु स्वस्थ तनावरहित एवं आनन्दमयी वातावरण में उनकी अभिरुचि के अनुसार मंगलवार से शनिवार प्रातः 10 से शाम 5 बजे तक प्रशिक्षण दिया जाता है जिसकी संक्षिप्त विवरणी निम्न है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>नियमित प्रशिक्षण - शास्त्रीय चुन्य, शास्त्रीय गायन, चित्रकला, क्राफ्ट, मूर्तिकला, कराटे, बैडमिंटन, बॉल बैडमिंटन, शतरंज, विज्ञान, लेखन, नाटक आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है।</li> <li>प्रकाशन-किलकारी के बच्चों द्वारा हर माह बाल किलकारी नामक मासिक अखबार बच्चों से संबंधित किलोवें बोशर, मॉड्यूल इत्यादि सामग्री की प्रकाशन की योजना।</li> <li>गुल्लक (बच्चा बैंक)-बच्चों द्वारा बचत की जने वाली राशि की जमा योजना।</li> <li>फोटोग्राफी-बच्चों में देखने-समझने के नवरियों को विकसित करने की योजना। वर्तमान में बच्चे विहार की युग्माओं का शैक्षणिक अभ्यास कर रहे हैं। इसके उपरोक्त पुस्तक निर्माण की योजना।</li> <li>चलान पुस्तकालय - बाल भवन की गतिविधियों से सरकारी विद्यालयों एवं स्लम के बच्चों को जाइने की योजना।</li> <li>पुस्तकालय (मर्सी की पाठशाला)-बच्चों के बौद्धिक एवं शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने के लिए पुस्तकालय का संचालन किया जा रही है।</li> <li>किलकारी की शोखां-प्रमंडल स्तर पर 2 बाल भवनों गया तथा भागलपुर की स्थापना, जिससे बिहार के अन्य बच्चों को भी इस योजना का लाभ मिल सके।</li> <li>किलकारी के वार्षिक आयोजन - बाल दिवस, राष्ट्रीय बाल रंग महोत्सव, समर कैप, बालश्री, राष्ट्रीय बाल लोक नृत्य महोत्सव आदि का योजना।</li> <li>किलकारी की अन्य परियोजनाएं-</li> </ol> <p>(क) दाया दोरबनी के फंड से पट्टा के 10 सरकारी विद्यालयों में तथा अन्य जिलों कैम्पूस, सहरसा, गया मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा घरहरा (भागपुर) में तीन-तीन घटि बाल केन्द्र का संचालन।</p>
3	21-2202.01.102.0102	शिक्षा का अधिकार	0.00	1000.00	2500.00	राज्य स्कीम	शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के आलोकन में प्रस्तीकृत निजी विद्यालयों को राशि प्रतिपूर्ति की जाती है। जिसके कारण निजी विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे निधन तथा गरीब बच्चों निश्चल अवश्यकता का अवश्यकता कम शुल्क पढ़ाई कर सके।
4	21-2202.01.111.0101 21-2202.01.111.0201 21-2202.01.111.0301 21-2202.01.789.0308 21-2202.01.796.0109 21-2202.01.796.0309 21-2202.01.789.0203	सर्व शिक्षा अभियान	772330.00	711030.00	838107.88	राज्य स्कीम/ केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम	नये विद्यालय भवनों का निर्माण, अतिरिक्त वर्ग कक्ष एवं शैचालय, शिक्षकों का प्रशिक्षण तथा 6 से 14 उम्र वाले सभी बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराया जाता है। नियोजित शिक्षकों के वेतनमान के फलस्वरूप उनका वेतन भी सर्व शिक्षा अभियान मद से कराया जाता है। साथ ही इस अभियान द्वारा प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य सामग्री भी उपलब्ध करायी जाती है।

क्र० सं०	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	बजट 2016-17	संभेदित बजट अनुमान 2016-17	बजट 2017-18	स्कीम व्यय की प्रकृति	अध्युक्ति (स्कीम की संभित जानकारी)
1	2	3	4	5	6	7	8
5	21-2202.01.109.0101	मुख्यमंत्री पोशाक योजना (सामान्य कोटि)	4800.80	32800.80	8000.00	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री पोशाक योजना अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत सामान्य कोटि के छात्र/छात्राओं के पोशाक के लिए कक्ष 1 से 2 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 400/-वार्षिक, कक्ष 3 से 5 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 500/- वार्षिक, तथा कक्ष 6 से 8 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 700/-वार्षिक उपलब्ध कराया जाता है ताकि अध्ययनरत सभी छात्र/छात्राओं के बीच समानता का भाव उत्पन्न हो सके।
6	21-2202.01.789.0102	मुख्यमंत्री पोशाक योजना (अनुसूचित जाति)	5200.00	5200.00	2000.00	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री पोशाक योजना अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जातियों के छात्र/छात्राओं के पोशाक के लिए कक्ष 1 से 2 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 400/-वार्षिक, कक्ष 3 से 5 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 500/- वार्षिक, तथा कक्ष 6 से 8 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 700/-वार्षिक उपलब्ध कराया जाता है ताकि अध्ययनरत सभी छात्र/छात्राओं के बीच समानता का भाव उत्पन्न हो सके।
7	21-2202.01.109.0102	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	10000.00	28000.00	10000.00	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं के पोशाक के लिए कक्ष 1 से 2 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 400/-वार्षिक, कक्ष 3 से 5 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 500/- वार्षिक, तथा कक्ष 6 से 8 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 700/-वार्षिक उपलब्ध कराया जाता है ताकि अध्ययनरत सभी छात्र/छात्राओं के बीच समानता का भाव उत्पन्न हो सके।
8	21-2202.01.109.0103	मध्य विद्यालय के छात्रों का परिभ्रमण	2500.00	2500.00	5845.00	राज्य स्कीम	छात्र/छात्राओं को अपने राज्य के ऐतिहासिक, ऐग्योलिक एवं अन्य महत्वपूर्ण जगहों की जानकारी प्रदान करने के लिए प्रत्येक प्राथमिक, मध्य एवं कन्या विद्यालय को प्रति वर्ष 20,000/- रु० शैक्षणिक परिभ्रमण हेतु उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना से छात्र/छात्राओं का शैक्षणिक-सह-मानसिक विकास होता है।
9	21-2202.02.107.0105	मुख्यमंत्री बालक सार्विकील योजना (सामान्य कोटि)	5000.00	14500.00	4000.00	राज्य स्कीम	माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत मुख्यमंत्री बालक सार्विकील योजना के तहत माध्यमिक विद्यालयों के वर्ग नवम में अध्ययनरत सामान्य कोटि के बालकों को विद्यालय जाने हेतु प्रति छात्र 2,500/-राशि उपलब्ध करायी जाती है ताकि दूर दराज के बच्चे भी विद्यालय पहुंच सको। इस योजना से खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक वातावरण का निर्माण हुआ है।
10	21-2202.02.789.0101	मुख्यमंत्री बालक सार्विकील योजना (अनुसूचित जाति)	2500.00	3500.00	1000.00	राज्य स्कीम	माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत मुख्यमंत्री बालक सार्विकील योजना के तहत माध्यमिक विद्यालयों के वर्ग नवम में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के बालकों को विद्यालय जाने हेतु प्रति छात्र 2,500/-राशि उपलब्ध करायी जाती है ताकि दूर दराज के बच्चे भी विद्यालय पहुंच सको। इस योजना से खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक वातावरण का निर्माण हुआ है। तथा समय अपव्यय से रहित हो अध्ययन की ओर अधिकाधिक उनमुख हुये हैं।
11	21-2202.02.107.0106	मुख्यमंत्री बालिका सार्विकील योजना	7500.00	18000.00	5000.00	राज्य स्कीम	माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत मुख्यमंत्री बालिका सार्विकील योजना के तहत माध्यमिक विद्यालयों के वर्ग नवम में अध्ययनरत सभी जाति के बालिकाओं को विद्यालय जाने हेतु प्रति छात्र 2,500/-राशि उपलब्ध करायी जाती है ताकि दूर दराज के बच्चे भी विद्यालय पहुंच सको। इस योजना से खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक वातावरण का निर्माण हुआ है। तथा समय अपव्यय से रहित हो अध्ययन की ओर अधिकाधिक उनमुख हुये हैं।
	21-2202.02.789.0102						
12	21-2202.02.107.0107	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	10000.00	13500.00	5000.00	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत सभी कोटि के छात्राओं के पोशाक के लिए कक्ष 9 से 12 तक के छात्राओं को 1000/-वार्षिक उपलब्ध कराया जाता है ताकि अध्ययनरत सभी छात्र/छात्राओं के बीच समानता का भाव उत्पन्न हो सके।
	21-2202.02.789.0104						
	21-2202.03.107.0104						
13	21-2202.02.107.0108	मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना	5215.72	10000.00	4500.00	राज्य स्कीम	मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण प्रत्येक छात्रा को ₹० 10,000/- प्रोत्साहन राशि के रूप में उपलब्ध कराया जाता है ताकि वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने की दिशा में उम्मीद हो सके एवं अंतरराष्ट्रीयक की पढ़ाई भी इस योजना द्वारा कर सके और इसके लिए वे परिवार पर आंशिक रूप से ही निर्भर रहें।

क्र० सं०	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	बजट 2016-17	संभेदित बजट अनुमान 2016-17	बजट 2017-18	स्कीम व्यय की प्रकृति	अध्युक्ति (स्कीम की संभित जानकारी)
1	2	3	4	5	6	7	8
14	21-4202.01.202.0211	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	13333.33	13334.33	138835.00	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम	नया माध्यमिक विद्यालय खोलना, भवन, वर्ग कक्ष एवं शैचालन का निर्माण तथा शिक्षकों का प्रशिक्षण तथा बच्चों को माध्यमिक स्तर की गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना सम्पीड़ित है।
	21-2202.02.109.0207						
	21-2202.02.109.0307						
15	21-4202.01.202.0103	राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण	3290.92	3290.92	8000.00	राज्य स्कीम	आर्थिक रूप से पिछड़े प्रत्येक प्रखंड में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु बालिका छात्रावास का निर्माण एवं प्रत्येक प्रखंड में केन्द्रीय विद्यालय के तर्ज पर मॉडल स्कूल विकासित किया जा रहा है।
16	21-2202.02.109.0105	आई० सी० टी० परियोजना	0.01	0.01	1000.00	राज्य स्कीम	कक्ष 09 से 12 तक के छात्र/छात्राओं को कम्प्यूटर शिक्षा उपलब्ध करायी जाती है।
17	21-2204.00.101.0103	मध्य विद्यालय की बालिकाओं को कराटे प्रशिक्षण हेतु	0.01	0.01	0.01	राज्य स्कीम	मध्य विद्यालयों को कराटे प्रशिक्षण हेतु अनुदान दिया जाता है।
18	21-2204.00.101.0108	विहार सवर्जनियर स्पोर्ट्स मीट तरंग	400.00	400.00	300.00	राज्य स्कीम	जूनियर बालक/बालिकाओं के लिए स्पोर्ट्स हेतु सवर्जनियर स्पोर्ट्स मीट तरंग कार्यक्रम हेतु अनुदान दी जाती है।
19	21-2202.01.109.0105	प्रारंभिक विद्यालयों में छात्रवृत्तियों	5000.00	10000.00	351.92	राज्य स्कीम	प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत सभी कोटि के छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति के लिए कक्ष 1 से 4 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 50/-प्रति माह अर्थात् 600/-वार्षिक, कक्ष 5 से 6 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 100/- प्रति माह अर्थात् 1200/-वार्षिक, तथा कक्ष 7 से 8 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 150/-प्रति माह अर्थात् 1800/-वार्षिक पाठ्य सामग्री क्रय हेतु उपलब्ध कराया जाता है।
20	21-2202.01.109.0004	प्रोत्साहन हेतु विद्यालयों में सामाजिक उत्सव	1800.00	1800.00	0.01	स्थापना एवं प्रतिवर्ष व्यय	प्रारंभिक विद्यालयों में वार्षिक परीक्षोपरांत कक्ष 1 से 8 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के बीच शैक्षणिक मालौल हेतु कार्यक्रम आयोजित की जाती है और उसमें उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहन दिया जाता है।
		योग :-	1022787.60	1062777.92	1297845.04		

**बाल कल्याण योजनओं के लिए बजट प्रावधान-विभागवार विवरणी**

**समाज कल्याण विभाग**

राशि लाख रुपये में

क्र० सं०	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	बजट 2016-17	संशोधित बजट अनुमान	बजट 2017-18	स्कीम व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (स्कीम की संक्षिप्त जानकारी)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	51-2235.02.102.0323	समेकित बाल संरक्षण योजना	500.00	2000.00	2800.00	केन्द्र प्रायोजित स्कीम (राज्यांश)	<p><b>लक्ष्य समूह :-</b> परिवारविहीन, विधि विवादित, निराश्रित, सड़क पर घूमने वाले, शोषण/पणन के शिकार बच्चे।</p> <p><b>योजना का उद्देश्य :-</b> संरक्षण के जरूरतमन्द बच्चों की हर प्रकार से सहायता करना।</p>
2	51-2235.02.102.0223	समेकित बाल संरक्षण योजना	1500.00	3500.00	4200.00	केन्द्र प्रायोजित स्कीम	
3	51-2235.02.103.0111 51-2235.02.789.0109	मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना	1200.00	1200.00	100.00	राज्य स्कीम	गरीबी रेखा के नीचे रह रहे परिवारों में कन्या के जन्म पर 2000/- रुपये की राशि एकमुश्त अनुदान देने का प्रावधान है।
4	51-2235.02.102.0116	परवरिश	500.00	1000.00	150.00	राज्य स्कीम	<p><b>योजना का उद्देश्य :-</b> आर्थिक रूप से विपन्न परिवार जिनका नाम बी0पी0एल0 सूची में सम्मिलित हो अथवा वार्षिक आय रु0 60,000/- (साठ हजार) से कम हो में, निम्नांकित श्रेणी के संतानों के समाज में पालन-पोषण तथा गैर सांस्थानिक देखरेख को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान भत्ता एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है :-</p> <p>(क) अनाथ एवं बेसहारा बच्चे अथवा अनाथ बच्चे जो अपने निकटतम संबंधी अथवा नाते रिश्तेदार के साथ रह रहे हैं;</p> <p>(ख) एच0आई0वी0 (+)/एड्स/कुष्ठरोग से पीड़ित बच्चे</p> <p>(ग) एच.आई.वी.(+)/एड्स पीड़ित माता/पिता अथवा कुष्ठ रोग के कारण 40 प्रतिशत या उससे ज्यादा शारीरिक विकलांग माता/पिता की संतानें।</p> <p><b>योजना का लाभ :-</b> 0-6 वर्ष तक रु0 900/- प्रति माह तथा 6-18 वर्ष तक रु0 1000/- प्रति माह</p>
5	51-2235.02.106.0107	बाल न्यायालय एवं बाल कल्याण बोर्ड की स्थापना (विहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग)	200.00	200.00	10.00	राज्य स्कीम	विहार राज्य बाल संरक्षण आयोग की स्थापना।

क्र० सं०	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	बजट 2016-17	संशोधित बजट अनुमान	बजट 2017-18	स्कीम व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (स्कीम की संक्षिप्त जानकारी)
0	1	2	3	4	5	6	7
6	51-2235.02.106.0106	बाल दोषी अनाथ एवं निराश्रित बच्चों के लिए विशेष योजना (बाल संरक्षण इकाई)	1000.00	1000.00	400.00	राज्य स्कीम	राज्य एवं जिला बाल संरक्षण इकाई की स्थापना।
7	51-2235.02.102.0222	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आईसीडीएस)-स्थापना, प्रशिक्षण एवं ISSNIP योजना सहित	68417.38	64392.79	71563.25	केन्द्र प्रायोजित स्कीम— केन्द्रांश (60% /ISSNIP-88%)	कुल प्राक्कलित राशि में बच्चों के लिए केन्द्रांश मद में पी0एस0ई0 किट्स एवं मेडिसीन किट्स हेतु रु. 2667.85 लाख एवं ISSNIP के अंतर्गत अनप्रासन हेतु रु. 1365.24 लाख का संभावित व्यय प्रस्तावित है।
	51-2235.02.102.0322		6836.10	45347.92	51586.17	केन्द्र प्रायोजित स्कीम राज्यांश (40% /ISSNIP P-12%)	कुल प्राक्कलित राशि में बच्चों के लिए केन्द्रांश मद में पी0एस0ई0 किट्स एवं मेडिसीन किट्स हेतु रु. 1778.57 लाख एवं ISSNIP के अंतर्गत अनप्रासन हेतु रु. 186.17 लाख का संभावित व्यय प्रस्तावित है।
8	51-2236.02.101.0203	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आईसीडीएस)-पूरक पोषाहार	59663.88	55263.88	70691.50	केन्द्र प्रायोजित स्कीम — केन्द्रांश (50%)	पूरक पोषाहार मद में कुल उपबंधित राशि से राज्य में पूर्व स्वीकृत 91677 ऑगनवाड़ी केन्द्रों (मिनी सहित) के माध्यम से 7116560 बच्चों तथा नवस्वीकृत 23041 ऑगनवाड़ी केन्द्रों (मिनी सहित) के माध्यम से 1776280 बच्चों कुल मिलाकर 8892840 लाभार्थियों को पूरक पोषाहार प्रदान कर उन्हें कुपोषणता से बचाना है। (Central :State share-50:50)
	51-2236.02.789.0204	पूरक पोषाहार-केन्द्रांश (विशेष घटक)	38418.54	10080.68	23563.84	केन्द्र प्रायोजित स्कीम	
	51-2236.02.101.0303	पूरक पोषाहार-राज्यांश (सामान्य)	841.00	29747.38	26940.91	केन्द्र प्रायोजित स्कीम राज्यांश (50%)	
	51-2236.02.789.0304	पूरक पोषाहार-राज्यांश (विशेष घटक)	21089.96	21089.96	48692.00		
	51-2236.02.796.0305	पूरक पोषाहार-राज्यांश (जनजातीय योजना)	7247.94	7247.94	8776.96		

क्र० सं०	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	बजट 2016-17	संशोधित बजट अनुमान	बजट 2017-18	स्कीम व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (स्कीम की संक्षिप्त जानकारी)
0	1	2	3	4	5	6	7
9	51-4235.02.102.0208	राज्य स्कीम केन्द्रांश	14581.20	5819.06	14401.00	केन्द्र प्रायोजित स्कीम—केन्द्रांश (60%)	ऑगनवाड़ी केन्द्र के बच्चों के लिए ऑगनवाड़ी केन्द्र का भवन निर्माण एवं उत्क्रमण किया जाना है। <b>(Central :State share-60:40)</b>
	51-4235.02.102.0308	राज्य स्कीम राज्यांश	2.00	3602.00	1600.02	राज्य स्कीम—राज्यांश (40%)	
10	51-2235.02.102.0117	आँगनवाड़ी केन्द्र के बच्चों का पोशाक	2400.00	5930.76	7503.00	शत्-प्रतिशत राज्य स्कीम	86237 ऑ० केन्द्र+ 21366 नई ऑ० केन्द्र हेतु 40 बच्चों की दर से एवं 5440 मीनी केन्द्र + 1675 नई मिनी ऑ० केन्द्र हेतु 20 बच्चों की दर से कुल 44,46,420 बच्चों के लिए रु. 250 की दर से। राशि निर्धारित उद्व्यय के आधार पर। <b>(State Plan-100%)</b>
	51-2235.02.789.0103	आँगनवाड़ी केन्द्र के बच्चों का पोशाक—(विशेष घटक)	800.00	2964.94	2500.94		
		योग	225198.00	260387.31	335479.59		

**बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रावधान- विभागवार विवरणी**  
**विभाग - श्रम संसाधन विभाग**

(राशि लाख रुपए में)

क्रम सं०	विपत्र कोड	परियोजना	बजट 2016-17	संशोधित अनुमान 2016-17	बजट 2017-18	स्कीम व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (स्कीम की संक्षिप्त जानकारी)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	26-2230.01.103.0103	बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढ़ीकरण	250.00	190.00	281.49	राज्य स्कीम	<p>बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा-3 के अनुसार 18 व्यवसायों एवं 65 प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम उम्र के बाल श्रमिकों का नियोजन प्रतिबंधित है। बाल श्रम उन्मूलन हेतु पूरे राज्य में धावा दल के माध्यम से सघन अभियान चलाकर बाल श्रमिकों का विमुक्ति जारी है। विमुक्ति के समय प्रत्येक बाल श्रमिक को एक माह का राशन हेतु रु 2300/- (दो हजार तीन सौ), वस्त्र हेतु 500/- (पाँच सौ), आवश्यकतानुसार अद्वार पथ्य हेतु रु 100/- (एक सौ) एवं दवा हेतु 100/- (एक सौ) अर्थात कुल 3000/- (तीन हजार) का भुगतान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एम०सी०मेहता वनाम तमिलनाडु सरकार में दिये गये दिशा निर्देश के अनुसार प्रति विमुक्त बाल श्रमिक को रु 5000/- की दर से जिलों में स्थापित बाल श्रमिक पुनर्वास-सह-कल्याण कोष में राशि जमा कराया जा रहा है। नियोजक द्वारा 20,000/- बाल श्रमिक पुनर्वास-सह-कल्याण कोष में जमा किया जाता है।</p> <p>बाल श्रमिकों के पुनर्वास प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए CLTS (Child Labour Tracking System) नामक साफ्टवेयर लाँच किया गया है साथ ही प्रत्येक विमुक्त कराये गये बाल श्रमिकों को मुख्यमंत्री राहत कोष से रु. 25000/- प्रति विमुक्त बाल श्रमिक को राशि उपलब्ध कराने की कार्रवाई भी की जा रही है।</p>
		योग-	250.00	190.00	281.49		

**बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रावधान- विभागवार विवरणी**  
**अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग**

(राशि लाख रूपए में)

क्र0 सं0	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	बजट 2016-17	संशोधित बजट अनुमान 2016-17	बजट 2017-18	स्कीम व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (स्कीम की संक्षिप्त जानकारी)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	44-2225.01.197.0101 44-2225.01.198.0101 44-2225.01.277.0107 44-2225.02.197.0101 44-2225.02.198.0101 44-2225.02.277.0101 44-2225.01.277.0218 44-2225.02.277.0214 44-2225.01.277.0219 44-2225.01.277.0319 44-2225.01.277.0222	विद्यालय छात्रवृत्ति	62711.00	62711.00	47856.85	राज्य स्कीम/ केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम	लगभग 55 लाख वर्ग 1 से 10 तक के बच्चों को छात्रवृत्ति विभिन्न दरों पर प्रदान की जाती है। मुशहर/भुइया के बच्चों को वर्ग 1 से 6 तक के बच्चों को उच्चतर दर पर छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है।
2	44-2225.01.198.0101 44-2225.01.277.0101 44-2225.01.198.0001 44-2225.01.197.0002 44-2225.01.277.0007	मुशहर छात्रवृत्ति	2320.00	2320.00	1306.00	राज्य स्कीम/ स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	
3	44-2225.01.197.0001 44-2225.01.277.0007	अस्वच्छ छात्रवृत्ति	40.00	40.00	40.00	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	वर्ग 1 से 10 तक के लगभग 15 हजार बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है।
4	44-2225.01.277.0107 44-2225.02.277.0101	प्रावैधिकी छात्रवृत्ति	102.00	102.00	0.00	राज्य स्कीम	वर्ग 1 से 10 तक के लगभग 2 हजार बच्चों को छात्रवृत्ति।

क्र० सं०	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	बजट 2016-17	संशोधित बजट अनुमान 2016-17	बजट 2017-18	स्कीम व्यय की प्रकृति	अन्युकृति (स्कीम की संक्षिप्त जानकारी)
1	2	3	4	5	6	7	8
5	44-2225.01.277.0003 44-2225.02.277.0004	आवासीय विद्यालय	11180.91	11180.91	11488.65	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	80 आवासीय विद्यालयों में नि:शुल्क शिक्षा दी जाती है।
6	44-2225.01.277.0002 44-2225.02.277.0003	छात्रावास संधारण	1361.23	1361.23	1160.56	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	138 छात्रावासों में आवासन की सुविधा दी जाती है।
7	44-2225.01.277.0011 44-2225.02.277.0001	परीक्षाशुल्क प्रतिपूर्ति	85.00	85.00	85.00	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना परीक्षा शुल्क से छूट के फलस्वरूप हुई क्षति की राशि का भुगतान किया जाता है।
8	44-2225.01.277.0218 44-2225.02.277.0214	मेरिट उन्नयन योजना	35.00	35.00	10.00	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम	9वीं एवं 12वीं छात्र/छात्राओं के लिए कोचिंग की व्यवस्था की जाती है।
9	44-2225.01.277.0107 44-2225.02.277.0101	मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना	10320.00	10320.00	2470.00	राज्य स्कीम	बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मैट्रिक प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण लगभग 1 लाख 20 हजार छात्र/छात्राओं को 10000 रु.एवं 8000/- मेधावृत्ति उपलब्ध करायी जाती है।
		योग-	88155.14	88155.14	64417.06		

**बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रावधान—विभागवार विवरणी**  
**विभाग— स्वास्थ्य विभाग**

राशि लाख रुपये में

क्र0 सं0	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	बजट 2016-17	संशोधित बजट अनुमान 2016-17	बजट 2017-18	स्कीम व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (स्कीम की संक्षिप्त जानकारी)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	20-2210.01.200.0209 20-2210.03.110.0203 20-2210.01.200.0309 20-2210.03.110.0303	राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम	11920.21	11920.21	2384.80	केन्द्र प्रायोजित स्कीम(केन्द्रांश एवं राज्यांश)	इन नये कार्यक्रम के अंतर्गत 0-18 वर्ष के बालक एवं बालिकाओं के स्वास्थ्य परीक्षण के क्रम में जन्मजात दोषों, विकासात्मक कमी वाले बच्चों सामान्य बीमारियों से ग्रसित बच्चों एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के चलते बीमार बच्चों की सरकारी खर्च पर चिकित्सा एवं शल्य-चिकित्सा सम्पन्न किया जाना है।
2	20-2210.01.200.0209 20-2210.03.110.0203 20-2210.01.200.0309 20-2210.03.110.0303	संस्थान आधारित नवजात शिशु देखभाल इकाई	380.20	380.2	541.88	केन्द्र प्रायोजित स्कीम(केन्द्रांश एवं राज्यांश)	बीमार नवजात शिशुओं की देखभाल हेतु जिला अस्पताल से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर SNCU/NBSU/NBCC की स्थापना की जा रही है।
3	20-2210.01.200.0209 20-2210.03.110.0203 20-2210.01.200.0309 20-2210.03.110.0303	नवजात शिशु की घर पर देखभाल	4600.00	4600.00	4000.00	केन्द्र प्रायोजित स्कीम(केन्द्रांश एवं राज्यांश)	नवजात शिशु एवं प्रसूता माँ की देखभाल हेतु गृह भ्रमण के जरिये आशा कार्यकर्ता द्वारा सेवा दी जा रही है। जच्चा-बच्चा के बीमारी की अवस्था में आशा द्वारा स्वास्थ्य संस्थान में भर्ती कराया जाता है, जहाँ उचित इलाज देकर सेवा प्रदान की जाती है।
4	20-2210.01.200.0209 20-2210.03.110.0203 20-2210.01.200.0309 20-2210.03.110.0303	राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम	7316.76	7316.76	277.67	केन्द्र प्रायोजित स्कीम(केन्द्रांश एवं राज्यांश)	राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत 10-19 वर्ष के किशोर-किशोरियों को किशोर मित्र स्वास्थ्य क्लिनिक (AFHC) के माध्यम से प्रजनन स्वास्थ्य, मानसिक विकार, गैर-संचारित रोग एवं धरंतु हिंसा पर परामर्श दिये जाते हैं। Menstrual Hygiene कार्यक्रम के तहत राज्य के 10 HPD जिलों में विद्यालय नहीं जाने वाली किशोरियों को सामाजिक विपणन (प्रति पैकेट रु0 6 मात्र ) के माध्यम से Sanitary Napkin दिया जाएगा।
5	20-2210.01.200.0209 20-2210.03.110.0203 20-2210.01.200.0309 20-2210.03.110.0303	NRHM के अन्तर्गत पोषण पुनर्वास केन्द्र	1978.10	1978.10	759.71	केन्द्र प्रायोजित स्कीम(केन्द्रांश एवं राज्यांश)	0-5 वर्ष वाले अति गंभीर कुपोषित बच्चों के उपचार/देखभाल हेतु राज्य के 38 जिलों में पोषण पुनर्वास केन्द्र संचालित है।
		योग	26195.27	26195.27	7964.06		

**बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रावधान- विभागवार विवरणी**  
**विभाग - अल्पसंख्यक कल्याण विभाग**

(राशि लाख रुपए में)

क्रम सं०	विपत्र कोड	परियोजना	बजट 2016-17	संशोधित अनुमान 2016-17	बजट 2017-18	स्कीम व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (स्कीम की संक्षिप्त जानकारी)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	30-2202.02.107.0210	अल्पसंख्यकों का बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति)	120.00	120.00	120.00	केन्द्र प्रायोजित स्कीम	केन्द्र प्रायोजित प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पूर्णतः केन्द्र पोषित योजना है। इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को पठन-पाठन में आर्थिक सहयोग करना है।
2	30-2202.02.107.0109	मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना	5201.12	12008.12	7183.00	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना अंतर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मैट्रिक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण अल्पसंख्यक (मुस्लिम) छात्र/छात्राओं तथा इंटरमीडिएट प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण अल्पसंख्यक (मुस्लिम) छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दिया जाता है।
		योग-	5321.12	12128.12	7303.00		

**Copyright 2017 Finance Department, Govt. of Bihar**